भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 581

(25 जून, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी

581. श्री टी. एन. प्रथापनः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पैंतीस में से चौंतीस राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत भुगतान की जा रही मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम हो गई है;
(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) केरल सहित विभिन्न राज्यों में मनरेगा के अंतर्गत संशोधित मजदूरी दर क्या है;
(घ) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी तत्संबंधी राज्यों की न्यूनतम मजदूरी से कम है;
(ङ) यदि हां, तो इनमें समानता सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;
(च) सरकार द्वारा योजना के अंतर्गत न्यूनतम कार्यदिवस-सीमा को बढ़ाने के लिए अन्य क्या कार्रवाई की गई है; और
(छ) क्या सरकार का कृषि क्षेत्रक में भी अधिक लाभार्थी बनाकर इस योजना की पुनर्रचना करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ङ.): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 की धारा 6(1) के उपबंधों के अनुसार केंद्र सरकार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रमिक (सीपी ई-एएल) के धार पर मनरेगा अधिनियम के तहत श्रमिकों के लिए प्रत्येक वर्ष मजदूरी दरों को अधिसूचित करती है तथा इन्हें संशोधित करती है। मंत्रालय में राज्य/सं.रा.क्षेत्र-वार न्यूनतम

मजदूरी दरें नहीं रखी जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मनरेगा के अंतर्गत केरल सहित राज्य/सं.रा.क्षेत्र-वार अधिसूचित की गई मजदूरी दरें **अनुबंध** में दी गई हैं।

(च): मनरेगा की धारा 3(1) के अनुसार, राज्य सरकारें इस अधिनियम के तहत बनाई गई योजना के अनुसार प्रत्येक परिवार को कम से कम 100 दिनों का कार्य उपलब्ध कराएंगी। कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय की सिफारिश पर देश में अधिसूचित सूखा प्रभावित या प्राकृतिक पदा प्रभावित क्षेत्रों में 100 दिनों के अलावा अतिरिक्त 50 दिनों का मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, धारा 3(4) में किसी एक वित्तीय वर्ष में प्रति परिवार 100 दिनों के कार्य की निर्धारित अवधि से अधिक का मजदूरी रोजगार सृजित करने के लिए सहायक प्रावधान हैं। धारा 3(4) इस प्रकार पठित है, "केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपनी र्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं में इस योजना के अंतर्गत परिवार के प्रत्येक वयस्क सदस्य को 100 दिन की गारंटीयुक्त अवधि से परे किसी भी अवधि के लिए काम उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर सकती है।"

(छ): मनरेगा की अनुसूची-। में इस बात को सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है कि किसी जिले में लागत की दृष्टि से शुरू किए गए कम से कम 60 प्रतिशत कार्य सीधे कृषि और तत्संबंधी कार्यकलापों से जुड़ी लाभकारी परिसंपत्तियों के सृजन के लिए किए जाएंगे। विगत तीन वर्षों के दौरान कृषि और तत्संबंधी कार्यकलापों पर किया गया व्यय निम्नानुसार है:

कृषि और तत्संबंधी कार्यकलापों पर व्यय का प्रतिशत	2016-17	2017-18	2018-19
	66	66.07	63.43

लोक सभा में दिनांक 25.06.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्र.सं. 581 के भाग (क)से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

मनरेगा के अंतर्गत अधिसूचित मजदूरी दर

(रू. में)

क्र.सं.	राज्य	2019-20
1	□ ंध्र प्रदेश	211
2	अरुणाचल प्रदेश	192
3	असम	193
4	बिहार	171
5	छत्तीसगढ	176
6	गोवा	254
7	गुजरात	199
8	हरियाणा	284
9	हिमाचल प्रदेश	गैर अधिसूचित क्षेत्र-185 अधिसूचित क्षेत्र-231
10	जम्मू और कश्मीर	189
11	झारखंड	171
12	कर्नाटक	249
13	केरल	271
14	मध्य प्रदेश	176
15	महाराष्ट्र	206
16	मणिपुर	219
17	मेघालय	187
18	मिजोरम	211
19	नागालैंड	192
20	ओडिशा	188
21	पंजाब	241
22	राजस्थान	199
23	सिक्किम	192
24	तमिल नाडु	229
25	तेलंगाना	211
26	त्रिपुरा	192
27	उत्तर प्रदेश	182
28	उत्तराखंड	182
29	पश्चिम बंगाल	191
30	अण्डमान और निकोबार	अंडमान जिला-250 निकोबार जिला-264
31	दादर और नगर हवेली	224
32	दमण और दीव	202
33	लक्षद्वीप	248
34	पुडुचेरी	229
35	चंडीगढ़	-